GCOC- (GLOBEX CODE OF CONDUCT) :: महत्वपूर्ण निर्देश

(01 January, 2021से लागू)

ग्लोबेक्स कंप्यूटर के सभी स्टाफ मेंबर्स को निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है-

1- सभी स्टाफ मेंबर्स को अपने निर्धारित समय से रिपोर्ट करना है।

2- जो भी स्टाफ पूरे माह अविलंब ऑफिस रिपोर्ट करता है उसको पुरस्कार स्वरूप Rs 500 का बोनस दिया जाएगा तथा यदि स्टाफ को 15 मिनट से अधिक की देरी से रिपोर्ट करता है तो उसे उस दिन रु.100 का जुर्माना देय होगा। किसी भी माह में 03 बार से अधिक देरी से रिपोर्ट करने पर प्रतिदिन रु.300 का दण्ड देय होगा।

3-बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन के वेतन के साथ रु.300 का दंड देय होगा।

4- उपस्थिति प्रमाण के रूप में बायोमेट्रिक प्रविष्टियाँ ही मान्य होंगी।

5-मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णता वर्जित है अतः इंस्टिट्यूट आने के बाद स्टाफ मेंबर्स द्वारा अपने मोबाइल फोन से बात करते पाये जाने पर अथवा अपने कार्य के दौरान फोन पर व्यक्तिगत बात करते पाये जाने पर रु.500/- का दण्ड देय होगा।

6-किसी भी स्टाफ मेंबर द्वारा मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप/फेसबुक/यूट्यूब अथवा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सर्फिंग या वीडियो कॉल आदि करते पाए जाने पर रु.500 का दंड देय होगा।

7- बिना आज्ञा किसी भी स्टाफ मेम्बर द्वारा सेल्फी /फोटो खींचना पूर्णतः वर्जित है,ऐसा करते पाये जाने पर रु.500 का दण्ड देय होगा।

9-इंस्टीट्यूट के किसी भी कंप्यूटर अथवा इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कार्य को करते हुए पाए जाने पर रु.500 का दण्ड देय होगा।

10-सभी स्टाफ मेंबर्स को प्रतिदिन के अनुसार निर्धारित ड्रेस कोड में ही आना अनिवार्य है। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर रुपए 50 का दण्ड देय होगा।

11- प्रत्येक स्टाफ को प्रत्येक माह 01 CL देय होगा यदि CL नहीं लिया जाता तो उस स्थिति में CL को रु.300 के साथ कैश किया जा सकता है।

12- अर्धावकाश/Half Day Leave हेतु रु.200/- की कटौती की जायेगी।

13- प्रत्येक स्टाफ मेम्बर को इंस्टिट्यूट समय के दौरान इंस्टिट्यूट से बाहर जाने की अनुमति नहीं है(आपातकाल को छोड़कर), उक्त का उल्लंघन करने पर उस स्टाफ से रु.500 का दण्ड लिया जायेगा।

14- किसी भी स्टूडेन्ट/विजिटर को अपने निजी फोन से किसी भी प्रकार की सूचना देना अथवा बात करना पूर्णतः वर्जित है ,ऐसा करते पाये जाने पर रु.100/- का दण्ड देय होगा।

15- किसी भी प्रकार की अनुमति /सूचना /शिकायत हेतु लिखित पत्र अथवा ऑफिसियल ईमेल ही मान्य होगा।

16- किसी भी स्टाफ मेम्बर के साथ अपशब्दों का प्रयोग अथवा तेज आवाज में बात किये जाने पर सम्बंधित स्टाफ को निलंबित/बर्खास्त किया जा सकता है।

17- इंस्टिट्यूट परिषर में पान मसाला /गुटखा /सिगरेट/मदिरा आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, उक्त नियम का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित स्टाफ को रु.1000/- का दण्ड अथवा उसी दिन निलंबित/बर्खास्त किया जा सकता है अथवा दोनों किया जा सकता है।

18- प्रत्येक स्टाफ को अपने दैनिक कार्यों को उसी दिन पूर्ण करके रिपोर्ट भेजनी है, यदि दिया गया कार्य उसी दिन पूर्ण नहीं होता है तो रु.200/- का लेट टास्क चार्ज लिया जायेगा।
19- इंस्टिट्यूट की किसी भी प्रकार की सूचना किसी से साझा करने / गोपनीयता भंग करने पर सम्बन्धित स्टाफ को बर्खास्त किया जा सकता है तथा FIR भी दर्ज़ की जा सकती है।
20- उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने/आपत्ति की स्थिति में स्टाफ को इस्तीफ़ा देना होगा।

कृपया ध्यान दें -

१- उक्त निर्देश हमारे दायित्वों का सकुशल निर्वहन करने हेतु बनाये गये हैं जिससे कि इंस्टिट्यूट में सुशाशन व अनुशासन बनाया जा सके।
२- आपको होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु हमें खेद है , किन्तु हम अपने दायित्वों हेतु कटिबद्ध हैं।

द्वारा -
ग्लोबेक्स प्रबन्धन